न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

RAAJodhpur2020-103RTA223Achalaram etc Vs Bheraram n Ors

1. अचलाराम पुत्र भैराराम मेघवाल
2. डूंगरराम पुत्र भैराराम मेघवाल
3. किशनाराम पुत्र भैराराम मेघवाल
4. लिखमाराम पुत्र भैराराम मेघवाल
5. अम्बा पत्नी भैराराम मेघवाल

निवासी खारा, तहसील फलोदी
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. भैराराम पुत्र भीखाराम मेघवाल
   निवासी सांवरीज
2. मांगीलाल पुत्र भीखाराम मेघवाल
   निवासी सांवरीज
3. पंखी पुत्री भीखाराम मेघवाल,
   निवासी पडियाल
4. सुआ पुत्री भीखाराम पत्नी जोधाराम मेघवाल
   निवासी पीलवा
5. दीपाराम पुत्र मालाराम मेघवाल
6. हीराराम पुत्र मालाराम मेघवाल
7. मोहनराम पुत्र मालाराम मेघवाल
   निवासीगण खारा, तहसील फलोदी
   जिला जोधपुर
8. मनोहरलाल पुत्र थनाराम बलाई
   निवासी आर.जेड.एफ. 501, राजनगर
   नई दिल्ली
9. बिजलराम पुत्र तुलछाराम मेघवाल
10. लूणाराम पुत्र तुलछाराम मेघवाल
    निवासीगण खारा, तहसील फलोदी
    जिला जोधपुर
11. पीथाराम पुत्र चूनाराम मेघवाल
12. मांगीलाल पुत्र गंगाराम मेघवाल
13. भगाराम पुत्र बाबूराम मेघवाल
    निवासीगण रायडा
14. फूसाराम पुत्र मानाराम मेघवाल
15. भीखाराम पुत्र नथूराम मेघवाल
16. दीनाराम पुत्र नथूराम मेघवाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17. कानाराम पुत्र उत्तमाराम मेघवाल
18. नारायण पुत्र उत्तमाराम मेघवाल
    निवासीगण खारा
19. भंवराराम पुत्र हरीराम मेघवाल
    निवासी बाप
20. अनोपाराम पुत्र प्रभुराम मेघवाल
    निवासी खारा, तहसील फलोदी,
    जिला जोधपुर
21. माडू पत्नी अचलाराम मेघवाल
22. अचलाराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल
23. भंवरलाल पुत्र अचलाराम मेघवाल
    निवासीगण खारा, तहसील फलोदी
    जिला जोधपुर
24. तहसीलदार फलोदी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 18 अगस्त 2020 राजस्व प्रकरण संख्या 76/2012 अचलाराम व अन्य बनाम भैराराम व अन्य

उपस्थित-

श्री पृथ्वीराज सिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 21 से 23 तक

नि र्ण य

दिनांक : 14 सित. 2020

अपीलाण्ट्स ने विद्वान सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 76/2012 अचलाराम व अन्य बनाम भैराराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 18 अगस्त 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 11 सितम्बर 2020 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 92ए एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद पेश कर ग्राम खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 433 रकबा 376 बीघा 01 बिस्वा में अपने दादा सालगा पुत्र प्रेमा का ½ हिस्सा तथा माला पुत्र खेता का ½ हिस्सा होना जाहिर करते हुए तदनुसार वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर मूल खातेदार सालगा पुत्र प्रेमा द्वारा अपने जीवनकाल में ¼ हिस्से बाबत बेचाननामा भीका पुत्र काछबा के पक्ष में निष्पादित कर दिया जाना, केता भीका पुत्र काछबा द्वारा उक्त कयशुदा भूमि आगे अन्य को बेचान कर दिया जाना, विकयशुदा ¼ हिस्से की भूमि पर वादीगण का कब्जा-काश्त एवं हक नहीं होने के कारण वादीगण को आलौच्य दावा पेश करने का अधिकार नहीं होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत दोनों पक्षों की सुनवाई का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए मूल दावा विधि द्वारा वर्जित मानते हुए दिनांक 18 अगस्त 2020 को खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स-वादीगण ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली बगैर एवं बकाया रेस्पो. की तामील के बिना ही बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि भीखा पुत्र काछबा द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 433 कुल रकबा 376 बीघा 01 बिस्वा में पटवारी सरपंच आदि से मिलीभगत कर किसी भीखा पुत्र काछबा ने ¼ हिस्से बाबत जमाबंदी में अपना नाम म्युटेशन संख्या 214 ग्राम खारा के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कूटरचित विकय पत्र दिनांक 26 अक्तूबर 1967 के आधार पर दर्ज करवा लिया, और अपने स्वत्व और हकूक के संबंध में 40-50 वर्षो तक कभी कोई बात नहीं कही और इस प्रकार उक्त फर्जीवाडे बाबत अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं होने दी। पहली बाद अपीलाण्ट संख्या एक द्वारा अपनी 5 बीघा एवं अपीलाण्ट संख्या दो से पांच द्वारा अपनी 20 बीघा भूमि माह मार्च 2012 में भंवराराम नामक व्यक्ति को विकय करवाते समय जमाबंदी देखने व पढवाने पर उक्त फर्जीवोड बाबत जानकारी हुई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि खसरा संख्या 433 ग्राम खारा में से नेशनल हाइवे निकलने से मौके की 376 बीघा 01 बिस्वा में से 13 बीघा 17 बिस्वा भूमि पीडब्ल्युडी के नाम दर्ज हो गयी, बकाया भूमि में ½ हिस्सा सह-हिस्सेदार माला के वारिसान दीपाराम, हीराराम, मोहनराम के आधिपत्य में रहा जिन्होने 60 बीघा भूमि भीखाराम आदि को विकय की, जिसका खसरा संख्या 433/2 अलग खाता करवा दिया। अन्य विकय संव्यवहारों एवं बची भूमियों का विवरण भी अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत किया गया और कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश वादीगण-अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में, उनकी बहस सुने बिना ही पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। साधारण परिस्थितियों में भी न्यायहित में एक अवसर वास्ते प्रत्युत्तर एवं सुनवाई का दिया जाना आवश्यक होता है, जबकि वर्तमान परिस्थिति में, जब कोविड-19 महामारी के समय न्यायालय लिबरब एप्रोच रख कर कोई विपरीत आदेश पारित नहीं कर रहे है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी दिनांक 12 जून 2020 को एक परिपत्र जारी कर समस्त अधीनस्थ न्यायालय/विशेष न्यायालय/अधिकरण को निर्देशित किया कि मात्र विशेष परिस्थितियों/मामलों में ही कोविड-19 अवधि में सुनवाई की जावे और पक्षकारान की अनुपस्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जावे। इस आदेश के अनुसरण में दिनांक 09 सितम्बर 2020 को एक

अन्य परिपत्र और जारी किया गया जिसके अनुसार दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक पूर्व में पारित निर्देश यथावत रखे गये। तथापि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विशेष परिस्थितियों पर विचार किये आनन-फानन में अपीलाधीन आदेश 18 अगस्त 2020 पारित कर गम्भीर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि धारा 88, 53, 98ए व 188 का दावा वाद की सम्पूर्ण प्रकिया के पश्चात ही निर्णित किया जा सकता है, आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र की सरसरी कार्यवाही के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा निर्णित नहीं किया जा सकता।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो.-केवियेटर ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार सालगा पुत्र प्रेमा द्वारा अपने जीवनकाल में ¼ हिस्से बाबत बेचाननामा भीका पुत्र काछबा के पक्ष में निष्पादित कर दिया जाना, केता भीका पुत्र काछबा द्वारा उक्त कयशुदा भूमि आगे अन्य को बेचान कर दिया जाना, विकयशुदा ¼ हिस्से की भूमि पर वादीगण का कब्जा-काश्त एवं हक नहीं होने के कारण वादीगण को आलौच्य दावा पेश करने का अधिकार नहीं होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर दावा खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 अगस्त 2020 पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि या अनियमितता नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। मामले में उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के समय न्यायालयों द्वारा लिबरब एप्रोच रख कर पक्षकारान की अनुपस्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं किये जा रहे है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी परिपत्र जारी कर समस्त अधीनस्थ न्यायालय/विशेष न्यायालय/अधिकरण को निर्देशित किया कि मात्र विशेष परिस्थितियों/मामलों में ही कोविड-19 अवधि में सुनवाई की जावे और पक्षकारान की अनुपस्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जावे। इस आदेश के अनुसरण में दिनांक 09 सितम्बर 2020 को एक अन्य परिपत्र और जारी किया गया जिसके अनुसार दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक पूर्व में पारित निर्देश यथावत रखे गये। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विशेष परिस्थितियों पर विचार किये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 अगस्त 2020 अपीलाण्ट्स-वादीगण के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किये, जो न्यायोचित नहीं कहे जा सके।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि मूल दावा वादीगण-अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 92ए एवं 188 के तहत ग्राम खारा तहसील फलोदी जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 433 रकबा 376 बीघा 01 बिस्वा में ½ हिस्सा बाबत पेश किया, जबकि प्रतिवादीगण-रेस्पो. द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर मूल खातेदार सालगा पुत्र प्रेमा द्वारा अपने जीवनकाल में ¼ हिस्से बाबत बेचाननामा भीका पुत्र काछबा के पक्ष में निष्पादित कर दिया जाना, केता भीका पुत्र काछबा द्वारा उक्त कयशुदा भूमि आगे अन्य को बेचान कर दिया जाना और विकयशुदा ¼ हिस्से की भूमि पर वादीगण का कब्जा-काश्त एवं हक नहीं होने के कारण वादीगण को आलौच्य दावा पेश करने का अधिकार नहीं होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में तर्क के लिए वादग्रस्त आराजियात के ¼ हिस्से बाबत अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जावे तो भी उक्त ¼ हिस्सा विशेष सुनिश्चित करते हुए बकाया ¼ हिस्से बाबत वादीगण-अपीलाण्ट्स के दावे बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई न्यायिक कार्यवाही किये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के जरिये दावा खारिज कर दिया जाना कतई न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं माना जा सकता।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 18 अगस्त 2020 अपास्त किये जाते है और प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि प्रतिवादीगण-रेस्पो. को अपना पक्ष और जबाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे और तदनुसार निर्धारित न्यायिक प्रकिया के अनुरूप दावे एवं जबाब के आधार पर वाद की संधारणीयता बाबत सर्वप्रथम तनकियात कायम की जावे और तत्पश्चात, यदि वाद में अग्रतर कार्यवाही होना अवधारित हो तो पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकीवार निष्कर्ष देते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/9/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर